



विज्ञापित

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली सैद्धान्तिक/प्रयोगात्मक परीक्षाओं के दौरान परीक्षार्थी के स्थान पर कोई अन्य छात्र/व्यक्ति यदि परीक्षा देते हुए पकड़ा जाता है तो परीक्षार्थी, जिसके स्थान पर परीक्षा दी जा रही है को यू०एफ०एम० कैटेगरी-6 दिये जाने का प्रावधान है। अग्रतर इस सम्बन्ध में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 20.02.2025 के मद संख्या 4 में निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये गये हैं।


1. यदि विश्वविद्यालय का कोई छात्र किसी अन्य छात्र के स्थान पर परीक्षा/प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्मिलित होता पाया जाता है तो उसे भी यू०एफ०एम० कैटेगरी-3 के अन्तर्गत दोषी माना जायेगा।
2. परीक्षा केन्द्र के वरिष्ठ केन्द्र अधीक्षक द्वारा नियमानुसार एफ०आई०आर० दर्ज करायी जायेगी।
3. परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों को प्रवेश देते समय छात्र के प्रवेश पत्र का मिलान किसी अन्य पहचान पत्र यथा:- आधार कार्ड से किया जाये।

कृपया समस्त परीक्षा केन्द्र तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

  
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बद्ध महाविद्यालय, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. समन्वयक यू०एफ०एम० को सूचनार्थ।
4. व्यक्तिगत सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
5. नोडल अधिकारी समर्थ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. सहा० कुलसचिव (गोपनीय)/समन्वयक रिजल्ट सेल/प्रभारी कम्प्यूटर केन्द्र को सूचनार्थ।
7. प्रभारी-अतिगोपनीय विभाग/कमेटी सैल/बी०एड० सैल/व्यवसायिक पाठ्यक्रम।
8. विश्वविद्यालय पूछताछ केन्द्र।
9. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता।
10. गार्डफाइल।

  
उप कुलसचिव (परीक्षा)